बेटी बचाओ
बेटी पढाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

केंका.विसविवि.सांख्यिकी.क्र.S1653/11-04-004/2025-2026 30 दिसंबर 2025

मुख्य अनुपालन अधिकारी
[लघु वित्त बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक]

महोदय/महोदया,

खाता स्तर प्राथमिकता क्षेत्र डेटा रिपोर्टिंग प्रणाली का स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (ADEPT) पोर्टल से केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS) में स्थानांतरण

कृपया 26 मार्च 2019 को जारी हमारे पत्र RBI/FIDD.CO/STAT/2083/11.04.002/2018-19 का संदर्भ लें, जिसके संदर्भ में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सलाह दी गई थी कि वे ADEPT पोर्टल के माध्यम से त्रैमासिक आवृत्ति पर खाता-स्तरीय प्राथमिकता क्षेत्र ऋण डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इसके बाद, बैंकों को 03 अक्टूबर 2024 के हमारे संचार के माध्यम से 'ग्रैनुलर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम – GPSA रिटर्न (R252)' के तहत ADEPT पोर्टल और CIMS के माध्यम से समानांतर रूप से इस डेटा को जमा करने के निर्देश दिये गये थे।

2. रिपोर्टिंग चैनलों को समेकित करने और प्लेटफार्मों के दोहराव को समाप्त करने के हमारे चल रहे प्रयास के चलते, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली आगामी रिपोर्टिंग अवधि से, खाता-स्तरीय प्राथमिकता क्षेत्र डेटा सबमिशन केवल CIMS के माध्यम से लेने तथा ADEPT पोर्टल के माध्यम से सबमिशन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार, बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे CIMS के माध्यम से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली आगामी रिपोर्टिंग तिमाही से त्रैमासिक GPSA रिटर्न (R252) जमा करना प्रारंभ करें। कृपया ध्यान दें कि दिसंबर तिमाही के लिए डेटा जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है।

4. संबंधित यूजर मैनुअल्स और टेम्पलेट पहले से ही CIMS पोर्टल के 'डाउनलोड' अनुभाग से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। बैंकों से अनुरोध है कि वे डाटा प्रस्तुतिकरण के दौरान आने वाली समस्याओं के लिए https://sahayak.rbi.org.in पर CIMS के इंसीडेंट मैनेजमेंट टूल (आईएमटी) के माध्यम से टिकट रेज करें। इसके अलावा, टिकट विवरण के साथ समस्या विवरण और संबंधित स्क्रीनशॉट fiddstatscims@rbi.org.in पर साझा करें।

5. सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पालन करें और CIMS में डेटा जमा करें।

भवदीय,

शशांक शेखर माइति

(शशांक शेखर माइति)
महाप्रबंधक

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001
Financial Inclusion and Development Department, Central Office, 10th Floor, Central Office Building Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-400001
टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

बेटी बचाओ
बेटी पढाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

CO.FIDD.STAT.No.S1653/11-04-004/2025-2026 December 30, 2025

The Chief Compliance Officer
[All Commercial Banks including Small Finance Banks]

Dear Sir / Madam,

Migration of account level priority sector data reporting system from Automated Data Extraction Project (ADEPT) portal to Centralised Information Management System (CIMS)

Please refer to our letter RBI/FIDD.CO/STAT/2083/11.04.002/2018-19 dated March 26, 2019, in terms of which scheduled commercial banks (SCBs) were advised to submit account-level priority sector lending data on quarterly frequency through the ADEPT portal. Subsequently, banks were advised vide our communication dated October 03, 2024, to submit this data parallelly through the ADEPT portal and the CIMS, under the 'Granular Priority Sector Advances – GPSA Return (R252)'.

2. As part of our ongoing effort to consolidate reporting channels, and to avoid duplication across platforms, it has been decided that effective from the upcoming reporting period ending December 31, 2025, the account-level priority sector data submissions will be made exclusively through CIMS, discontinuing the submission through ADEPT portal.

3. Accordingly, banks are advised to commence submission of the quarterly GPSA return (R252) from the upcoming reporting quarter ending December 31, 2025, through CIMS. Please note that the deadline for submitting the data for the December quarter is January 31, 2026.

4. The relevant user manuals and templates are already available for download from the CIMS portal's 'Downloads' section. Banks are requested to raise tickets through incident management tool (IMT) of CIMS at https://sahayak.rbi.org.in for issues faced during submission. Further, the ticket details along-with issue description and relevant screenshots may be shared to us on fiddstatscims@rbi.org.in .

5. All banks are requested to follow the prescribed timeline and submit data in CIMS.

Yours faithfully,

SSMaiti

(Sasanka Sekhar Maiti)
General Manager

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई - 400001
Financial Inclusion and Development Department, Central Office, 10th Floor, Central Office Building Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-400001
टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।